भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2016
दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल संदूषण के आंकड़े

2016. श्री कनकमल कटारा:
श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहित देश भर में आर्सेनिक, फलोराइड और पारा से संदूषित पेयजल से प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़ों को संकलित करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है;
(ख) क्या मंत्रालय में ऐसे आंकड़ों के भौतिक सत्यापन के लिए कोई प्रणाली मौजूद है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा युक्त पेयजल के संदूषण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों जिन्हें स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान की गई उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) से (ङ): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में, तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की।

विभाग ने जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के आंकड़ें दर्ज करने के लिए एक वेब आधारित एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-आईएमआईएस) विकसित की है, जहां राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र ऐसी बसावटों की स्थिति प्रदान करते हैं जिनके भू-जल स्रोतों में संदूषण है जिनमें राजस्थान राज्य के भू-जल स्रोत शामिल हैं। जेजेएम-आईएमआईएस के अनुसार किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पारा (मर्करी) संदूषण से प्रभावित होने वाली किसी बसावट की कोई सूचना नहीं दी है।

परिवारों को सुरक्षित जल के प्रावधान के लिए देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 13.12.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 10.56 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत, नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 13.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.80 करोड़ (71.72%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों (आर्सेनिक प्रभावित बसावटों सहित) से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की प्राथमिकता के आधार पर योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें।

यह परिकल्पना की गई थी कि ऐसी बसावटों में सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे प्रारंभ करने में समय लग सकता है, अतः केवल एक अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि प्रत्येक परिवार की पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीने योग्य जल की व्यवस्था करने हेतु खासकर आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) लगाए जाए। 13.12.2023 की स्थिति के अनुसार, आर्सेनिक, फ्लोराइड प्रभावित बसावटों और ऐसी बसावटों में उपलब्ध कराए गए सीडब्ल्यूपीपी की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आर्सेनिक, फ्लोराइडयुक्त पेयजल के संदूषण के कारण प्रभावित सुरक्षित पेयजल वाली सुविधा संपन्न बसावटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य

योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना, आदि शामिल हैं। रासायनिक संदूषक से प्रभावित बसावटों के आकड़े, परीक्षण की स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा निम्न लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

*****

अनुबंध-I

दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (13/12/2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसावटों की संख्या			
		फ्लोराइड	सीडब्ल्यूपीपी से कवर	आर्सेनिक	सीडब्ल्यूपीपी से कवर
1.	झारखंड	2	2	-	-
2.	केरल	4	4	-	-
3.	ओडिशा	20	20	-	-
4.	पंजाब	176	176	319	319
5.	राजस्थान	112	112	-	-
6.	पश्चिम बंगाल	37	37	59	59
कुल		**351**	**351**	**378**	**378**

टिप्पणीः उपर्युक्त सभी बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों हेतु प्रतिदिन 8-10 लिटर प्रति व्यक्ति की सीमा तक सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनुबंध-II

दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों और आबादी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	निम्न तिथि के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित बसावटों और आबादी की संख्या							
		01.04.21		01.04.22		01.04.23		13.12.23	
		बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी
1.	असम	32	12,704	-		-		-	
2.	बिहार	11	27,560	-		-		-	
3.	झारखंड	1	75	-		-		-	
4.	पंजाब	567	6,80,010	560	6,74,047	323	3,34,852	319	3,28,708
5.	उत्तर प्रदेश	124	1,77,840	107	1,63,965	89	1,42,670	-	
6.	पश्चिम बंगाल	982	14,39,739	133	1,38,252	95	88,288	59	64,080
कुल		**1,717**	**23,37,928**	**800**	**9,76,264**	**507**	**5,65,810**	**378**	**3,92,788**

स्रोत: 13.12.2023 को जेजेएम-आईएमआईएस की स्थिति

टिप्पणीः उपर्युक्त सभी बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों हेतु प्रतिदिन 8-10 लिटर प्रति व्यक्ति की सीमा तक सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनुबंध II जारी

दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

फ्लोराइड प्रभावित बसावटों और आबादी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	निम्न तिथि के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित बसावटों और आबादी की संख्या							
		01.04.21		01.04.22		01.04.23		13.12.23	
		बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी
1.	आंध्र प्रदेश	86	40,358	-		-		-	
2.	बिहार	1	699	-		-		-	
3.	छत्तीसगढ	154	61,430	159	47,255	-		-	
4.	हरियाणा	1	1543	-		-		-	
5.	झारखंड	49	23572	2	1155	2	1155	2	1155
6.	केरल	5	9442	5	9442	4	7543	4	7543
7.	मध्य प्रदेश	75	58745	1	1004	-		-	
8.	महाराष्ट्र	3	1569	3	1557	-		-	
9.	ओडिशा	46	13831	41	12992	31	8713	20	6888
10.	पंजाब	180	2,11,478	182	2,12,694	176	206485	176	206485
11.	राजस्थान	237	1,56,036	165	107735	113	70797	112	67780
12.	उत्तर प्रदेश	53	73,764	38	45800	27	39479	-	
13.	पश्चिम बंगाल	131	1,19,651	42	39294	40	43940	37	41394
कुल		**1,021**	**7,72,118**	**638**	**478568**	**393**	**376112**	**351**	**3,31,245**

स्रोत: 13.12.2023 को जेजेएम-आईएमआईएस की स्थिति

टिप्पणी: उपर्युक्त सभी बसावटों में सामुदायिक *जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों हेतु प्रतिदिन 8-10 लिटर प्रति व्यक्ति की सीमा तक सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा रहा है।*